प्रा0पत्र/07/2021 **न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर**

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म, Add NH &11 Near Swaraj Resort Bharatpur

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्ण) आदेश 2015

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 20–03–2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2021 को मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म के ओल्ड औधोगिक क्षेत्र रीको एरिया प्लाट नम्बर 548 जघीना रोड स्थित श्री राजीव पालीवाल पुत्र यज्ञदत्त पालीवाल निवासी डी–53 रन्जीत नगर भरतपुर से फर्म प्रतिनिधि श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा किराये पर लिये गये परिसर की जांच की गई। मौके पर फर्म प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने व चाबी उपलब्ध नहीं कराने की बजह से सील किया गया। दिनांक 15.12.2021 को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति) भरतपुर द्वारा उक्त फर्म को नोटिस क्रमांक/राराखाना आनि/खाद्यान्न/1354 दिनांक 15.12.2021 के जरिये सूचित कर उक्त गोदाम का भौतिक सत्यापन करवाने बाबत लिखा गया। दिनांक 16.12.2021 को उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री लोकेन्द्रसिंह उपस्थित हुए। श्री लोकेन्द्र सिंह व अन्य मौतविरानों की उपस्थिति में गोदाम की सील खोलकर निरीक्षण किया गया। गोदाम के अन्दर गेहूं के कट्टे भरे हुए पाये गये एवं बडी मात्रा में खुला गेहूँ बिखरा मिला। गेहूँ के कट्टे अस्त व्यस्त व बिखरे हुए पाये गये। गेहूँ के कट्टे 50 किग्रा भराव क्षमता के थे जिन पर भारतीय खाद्य निगम Government of punjab व Government of Haryana मार्का लगा हुआ पाया एवं कट्टे मशीन से सिले हुए पाये। गोदाम में पाये गेहूँ की मात्रा का वजन करने हेतु लेवर बुलवाई गई व खाली कट्टे मंगवाकर लेवर से खुला हुआ गेहूँ भरवाया गया। गोदाम में पाया गया गेहूँ 1024 कट्टो में निकला जिसका बजन करवाने पर गेहू की मात्रा 492.50 क्विंटल पाई गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त गेहू मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म खाद्यान्न थोक परिवहनकर्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित गेहूं को सप्लाई चैन मैनेजमन्ट के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं पहुंचा कर अवैध रुप से संग्रहित कर रखा था। फर्म द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव 30.11.2021 कर लेने के उपरान्त भी उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा उक्त गेंहूं का विपथन कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) तथा सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस कारण वजह सबूत उक्त गेहूं 492.50 क्विंटल मय बारदाना को जप्त किया गया। जप्त गेहूं को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। नोटिस वाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि मोके पर कार्यवाही के दौरान पाई गई मौका परिस्थितियों के साक्ष्यों के आधार खाद्यान्न परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिज्म फर्म एंव उसके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहू को उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाना अवैध रुप से सग्रंहित कर गेहूँ का विपथन करना, अनुवन्ध की शर्तों का उल्लंघन करना व षडयंत्र पूर्वक गेहूं का दुरुपयोग व कालावजारी करना पाया गया है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (1) व (11) तथा सम्पाई चैन मैनेजमेन्ट के दिशा निर्देशों तथा फर्म से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा किये गये अनुवन्ध की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः गेंहू 492.50 क्विंटल गेहूं मय बारदाना को राजसात करने की प्रार्थना की है।

पैरोकार रसद ने यह भी बताया कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरण में मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड ट्यूरिजम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आंवटित गेहूं का उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाने व अवैध गोदाम में गेंहू को लूज कर मिट्टी मिलाकर कट्टों में भरना पाये जाने पर दिनांक 12.12.2021 को 274.50 क्वि. गेहूं को जप्त किया गया है एवं पुलिस थाना उद्योग नगर में उक्त फर्म के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 343/2021 अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406, 272 एवं 120बी बी में दर्ज करवाई गई है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी का बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि उसे उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। यानि प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा की गई कार्यवाही स्वीकार करता है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका फर्द जप्ती दिनांक 16.12.2021 का अवलोकन किया गया। फर्द मौका पर उपस्थित गवाहान के हो रहे हस्ताक्षरों से स्पष्ट है कि फर्द कार्यवाही से अप्रार्थी के प्रतिनिधी को कोई एतराज नहीं है। मौका परिस्थितियों के साक्ष्यों के आधार खाद्यान्न परिवहनकर्ता मै0 चन्द्रावती होस्पीटेलिटी एण्ड टयूरिज्म फर्म एंव उसके प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित गेहू को उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाना अवैध रुप से सग्रंहित कर गेहूँ का विपथन करना, अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करना व षडयंत्रपूर्वक गेहूं का दुरुपयोग व कालाबजारी करना पाया गया है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(2) व (3) परन्तुक (i) व (ii) तथा सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के दिशा निर्देशों तथा फर्म से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा किये गये अनुबन्ध की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः गेंहू 492.50 क्विंटल गेहूं मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त जप्तशुदा 492.50 क्वि. गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 16.2.2022 को अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये जा चुके हैं। अतः जिला रसद अधिकारी तदनुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर